परिचय

सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभांवितों की पहचान साबित करने में बहुत समय लगता है, कई कठिनाईयां आती है एवं उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं जो कि गरीबों तक लाभों और अनुदानों का समय पर नहीं पहुँच पाने में एक बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त लाभान्वितों को प्राप्त लाभ की सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं होती है जिससे लाभान्वितों को आने वाली समस्याओं का निदान करने में सरकारी एजेंसी को कठिनाई होती है।

उदाहरण

जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी राशन कार्डधारी को जन वितरण दुकान से राशन नहीं मिलने की शिकायत है तो जॉचकर्ता को शिकायत एवं संबंधित सूचना की जाँच कई पहलुओं पर करना होता है। शिकायतकर्त्ता की पहचान, उनके लाभार्थी होने की शर्तें, क्या वे पहले से राशन प्राप्त कर लिए हैं, क्या उनके स्थान पर किसी और को राशन दे दिया गया है, क्या राशन के दूकान में राशन का स्टॉक नहीं है इत्यादि। शिकायत के इन पक्षों की जाँच के लिए सूचना समय में आसानी से एक जगह पर उपलब्ध नहीं होती है, या उपलब्ध होती भी है तो कुछ सूचना लाभार्थी के पास (जैसे: शिकायतकर्त्ता की विशिष्ट (यूनिक) पहचान, लाभार्थी होने की शर्तों का सत्यापन संबंधित सूचना, उनके द्वारा प्राप्त राशन की जानकारी इत्यादि) और कुछ सूचना जन वितरण दूकान के पास (जैसे : वितरण के द्वारा दिए गए राशन की जानकारी, उनके स्टॉक में उपलब्ध सामग्री इत्यादि) होती है। इन सूचनाओं की सत्यता की जॉच कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। यदि लाभार्थी की सूचना, जन वितरण के अंतर्गत लाभार्थी को प्राप्त लाभ एवं जन वितरण दुकान की सभी सूचनाएं एक जगह उपलब्ध हो, उनकी विश्वसनियता, विशिष्टता (uniqueness), द्वितीयक रिकार्ड न होना सुनिश्चित हो एवं इस सूचना को कहीं भी कभी भी प्राप्त किया जा सके तो जाँचकर्ता एवं लाभार्थी स्वयं भी इस शिकायत से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध कराकर शिकायत का

निपटारा कर सकते हैं, एवं उनकी शिकायत का निदान कम से कम समय में किया जा सकता है।

एक अन्य उदाहरण

यदि किसी निवासी को इन्दिरा आवास के लिए सहयोग राशि प्राप्त नहीं है और वे इसे प्राप्त करने के लिए आवेदन देते हैं या शिकायत करते है तो इस संबंध में जाँचकर्त्ता को आगे दिए गए तथ्यों पर सूचना प्राप्त कर विश्लेषण करना हो सकता है – आवेदक की पहचान, आवेदक IAY Wait list में हैं या नहीं, क्या IAY Wait List में आवेदक के उपर आ रहे सभी लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया जा चुका है, क्या आवेदक को इन्दिरा आवास के सभी शर्तों को पुरा करते हैं – उन्हें पहले से इन्दिरा आवास नहीं दिया गया है, उनके पास इन्दिरा आवास बनाने के लिए जमीन है, उनके पास पक्का मकान है इत्यादि। ये तथ्य प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कागजात से प्राप्त किया जा सकता है (जैसे : लाभार्थी के भूमिहीन होने पर जमीन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, IAY Wait List में उपर के सभी लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है, आवेदक को इंदिरा आवास पहले से आवंटित है इत्यादिद्ध या पंचायत में भ्रमण कर प्राप्त किया जा सकता है (जैसे : आवेदक के पास खुद की जमीन है, उनके पास पक्का मकान है इत्यादि), एवं आवेदक संबंधित जॉच (जैसे : आवेदक की पहचान, उनका BPL प्राप्तांक, IAY Wait List में उनका क्रम संख्या, वे सरकारी नौकरी में है इत्यादि)। इस सभी सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से संकलित करने में एवं प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। यदि सभी निवासियों का डाटा एक केन्द्रित डाटाबेस में सुरक्षित हो, उसी डाटाबेस में IAY लाभार्थियों की पहचान एक तय प्रक्रिया को पालन करते हुए पहले से की गई हो, एवं उसी डाटाबेस में इन्दिरा आवास प्राप्त करने के सभी शर्तों की पुरी करने की जानकारी भी संरक्षित हो तो इन्दिरा आवास संबंधित किसी भी शिकायत का निपटारा इस डाटाबेस से जानकारी प्राप्त कर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी लाभार्थी का नाम या पहचान इस डाटाबेस में नहीं है तो समय के साथ ऐसे छुटे हुए लाभार्थी की पहचान इस केन्द्रिय डाटाबेस से की जा सकती है।

निवासी की एकल विशिष्ट पहचान

इसी प्रकार अलग–अलग सेवा दाता संस्थाएं सेवा प्रदान करने के लिए अक्सर निवासियों से आवश्यकतानुसार अलग अलग समय में अलग अलग प्रमाण प्रलेख (documents) की मांग करते है। इस तरह से बार बार एक ही तरह की पहचान के लिए अलग अलग प्रलेख भरने में एवं उसे उपलब्ध कराने में निवासियों को अनावश्यक व्यय करना पड़ता है और असुविधा होती है।

उपर्युक्त उदाहरणों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी इच्छुक निवासियों को एक ऐसी पहचान एवं इस पहचान को उपयोग करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जो कि उनकी विशिष्ट (यूनिक) पहचान तय करती है, उसकी पहचान की प्रमाणिकता को विश्वसनियता देती है, उनकी एक से ज्यादा पहचान उपलब्ध न हो सके ऐसा सुनिश्चित करती है, एवं उनकी विशिष्ट पहचान की तत्काल सत्यापन की सुविधा देती है।

इस प्रक्रिया के द्वारा संकलित की गई सभी जानकारी एक केन्द्रीकृत डाटाबेस में रखा जाएगा जिसमें से किसी भी निवासी की सूचना सेवा दाताओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक ही डाटाबेस में सभी निवासियों की संकलित की गई सारी सूचनाएं एक साथ रखने से द्वितीयक (duplicate) रिकार्ड बनने से पूर्ण रुप से रोक लगती है। अतः एक निवासी का एक ही पहचान होगी।

e–शक्ति परियोजना परिचय

इन गुणों के साथ बिहार सरकार ने वर्ष 2008 में *e*–शक्ति परियोजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 24 फरवरी 2009 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यस्क निवासियों की जानकारी एवं बॉयोमेट्रिक डाटा लेकर नामांकन के उपरांत एक वैयक्तिक सम्पर्क विहीन स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है जिसमें उनके व्यक्तिगत, बॉयोमेट्रिक, बैंकिंग आकड़े एवं अन्य आवश्यक आंकड़े संकलित रहते हैं। शुरुआत के समय में प्रयोग के तौर पर इस वैयक्तिक सम्पर्क विहीन स्मार्ट

कार्ड का प्रयोग मनरेगा कार्यक्रम में मजदूरों की हाजिरी को दर्ज करने के लिए एवं वित्तीय समावेशन के माध्यम से उन्हें मजदूरी का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है। कालांतर में इस वैयक्तिक सम्पर्क विहीन स्मार्ट कार्ड का प्रयोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसेः जन वितरण प्रणाली, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान करने एवं लाभान्वितों को दी जाने वाली लाभों का आकड़ा रखने के लिए किया जाना है।

यू.आई.डी. कार्यक्रम परिचय

इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यू.आई.डी. कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के सभी इच्छुक ग्रामीण और शहरी निवासियों को भारत के किसी भी हिस्से में प्रमाणित हो सकने योग्य एक पहचान संख्या देने का निर्णय लिया है। इसे यू.आई.डी. या आधार संख्या बोला जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा Unique Identification Authority of India (UIDAI) का गठन किया गया है। UIDAI रजिस्ट्रार के माध्यम् से भारत के सभी हिस्सों में सभी इच्छुक निवासियों का नामांकन कर इस कार्यक्रम को लागू करेगी। भारत सरकार 'आधार पहचान संख्या' के साथ Demographic एवं Biometric जानकारी केन्द्रिय पहचान आंकड़ों के कोष (Central Identities Data Repository) में रखेगी। इस कार्य के लिए बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

e–शक्ति परियोजना एवं यू.आई.डी. कार्यक्रम में अधिकांश मायनों में समरुपता को देखते हुए बिहार में ***e***–शक्ति कार्यक्रम को यू.आई.डी. के अनुकुल करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

e–शक्ति परियोजना एवं यू.आई.डी. कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा इस पुस्तिका में की गई है।

e-शक्ति परियोजना एवं वैयक्तिक सम्पर्क विहीन स्मार्ट कार्ड से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य

e-शक्ति कार्ड एवं हैंडहेल्ड मशीन में इसका उपयोग : *e*-शक्ति कार्ड, टिकाऊ पॉलीकार्बोनेट पदार्थ द्वारा निर्मित एक वैयक्तिक प्लास्टिक कार्ड है। इसमें व्यक्ति का फोटो छपा रहता है तथा उसका सारा विवरण अंकित रहता है। ये सूचनाएँ इस कार्ड पर लेजर छपाई तकनीक द्वारा छापी जाती हैं। *e*-शक्ति कार्ड के भीतर स्थित चिप में सदस्य की सारी आवश्यक सूचनाएँ तथा फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं।

e-शक्ति स्मार्ट कार्ड, एक परिचय-पत्र के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। यह स्मार्ट कार्ड, बैंक-कार्ड, राशन-कार्ड, स्वास्थ्य-कार्ड, बीमा-कार्ड इत्यादि का भी भविष्य में (संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर) काम कर सकता है। निकट भविष्य में *e*-शक्ति कार्ड को इन कार्यों को सम्पादित करने के अनुकुल बनाने की योजना है।

क. *e*-शक्ति

e-शक्ति परियोजना क्या है ?

बिहार सरकार ने सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग से MGNREGS के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए *e*-शक्ति परियोजना की शुरूआत की है। बिहार ऐसी परियोजना चलाने वाला देश का अग्रणी राज्य है।

e-शक्ति की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

- सदस्यों के निबंधन की प्रक्रिया में अब उनके सारे विवरण के

- साथ–साथ उनकी बॉयोमेट्रिक सूचनाओं (फोटोग्राफ तथा 10 उंगलियों के निशान) का रिकार्ड रखना शामिल होगा।
- परिवार के सभी सदस्यों का अलग–अलग बैंक खाता खुलवाया जाएगा।
- एक सुरक्षित एवं उच्च–क्षमता वाला इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कार्ड (***e***-शक्ति कार्ड) उपलब्ध कराया जाएगा।
- ***e***-शक्ति कार्ड परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को निर्गत किया जाएगा, इसलिए अब परिवार के सभी सदस्यों का अपना अलग स्मार्ट कार्ड होगा जिसके इलेक्ट्रॉनिक चिप में उनका सारा विवरण एवं बॉयोमेट्रिक सूचनाएँ, फोटोग्राफ तथा 10 उंगलियों के निशानद्ध निहित रहेंगी।
- ***e***-शक्ति कार्ड सुरक्षित एवं आधुनिक परिचय–पत्र का भी कार्य करेगा।
- MGNREG जॉब कार्ड द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाओं के अतिरिक्त इसमें कई अन्य सुविधाएँ भी निहित हैं।

_e_-शक्ति कार्ड में कार्य की हाजिरी तथा अन्य लेन–देन का लेखा–जोखा कैसे रिकार्ड किया जाएगा ?

सभी पंचायत रोजगार सेवकों को एक हैंड–हेल्ड (हस्तधारित) मशीन उपलब्ध करायी जाएगी। किसी भी व्यक्ति का सत्यापन उसके स्मार्ट कार्ड एवं उंगलियों के निशान के द्वारा हस्तधारित मशीन कर सकती है। मशीन कामगारों को एक प्रिंटेड रसीद उपलब्ध कराएगी। इस रसीद में तिथि, समय, कार्य–स्थल का भौगोलिक विवरण तथा मजदूरी–भुगतान की सूचनाएँ रहेंगी।

_e_-शक्ति कार्ड के खो जाने या नष्ट हो जाने पर क्या करें ?

e-शक्ति कार्ड के खो जाने अथवा नष्ट होने की स्थिति में सम्बंधित पंचायत रोजगार सेवक को लिखित रूप से सूचित करें। पंचायत रोजगार सेवक

विवरण, टेक्सचुअल एवं बॉयोमेट्रिक डाटा के रूप में संग्रहित रहता है, जिसकी मदद से उनका नया *e*-शक्ति कार्ड बना दिया जाएगा।

ग. *e*-शक्ति परियोजना यू.आई.डी. परियोजना में किस प्रकार विस्तार होगा

1. *e*-शक्ति परियोजना में बॉयोमेट्रिक डाटा, फोटोग्राफ तथा 10 उंगलियों की निशान होता है। यू.आई.डी. परियोजना में आँखों की पुतली को भी स्कैन किया जाएगा।
2. *e*-शक्ति परियोजना बिहार सरकार के द्वारा शुरु किया गया है एवं यू.आई.डी. परियोजना लोकसभा के द्वारा कानून से पूरे भारत में लागू होगा।
3. *e*-शक्ति परियोजना में किसी निवासी का डाटा की विशिष्टता (uniqueness) का एवं द्वितीयक न होने को सुनिश्चित राज्य स्तर पर किया जाता है एवं यू.आई.डी. परियोजना में यह राष्ट्र स्तर पर सुनिश्चित होगा।
4. *e*-शक्ति परियोजना में सिर्फ व्यस्क निवासियों का नामांकन किया जा रहा है एवं यू.आई.डी. परियोजना में सभी उम्र के निवासियों (बच्चे एवं व्यस्क) का नामांकन किया जा रहा है।

घ. यू.आई.डी. आधार सम्बन्धित कुछ मुख्य तथ्य

1. एक आधार : एक लाभार्थी – आधार एक विशिष्ट संख्या है, यह संख्या रैंडम संख्या होगी जो एक बार निर्गत होने पर किसी दूसरे व्यक्ति को कभी आवंटित नहीं होगी। किसी निवासी को दो संख्या प्राप्त नहीं होगी क्योंकि यह प्रत्येक लाभार्थी के बॉयोमेट्रिक्स से जुड़ा है जिससे गलत पहचान आसानी से चिहिन्त किये जा सकते हैं। आधार संख्या के कारण डुप्लीकेट एवं गलत पहचान के लाभार्थियों में समय बर्बाद

नहीं होगा एवं सरकार अन्य योग्य लाभार्थी को लाभ देने का विस्तार कर सकती है।

2. सुलभता – आधार एक सर्वसुलभ संख्या है, जिससे कोई भी एजेंसी एवं सेवादाता देश के किसी कोने से लाभार्थी के पहचान हेतु यूनिक पहचान डाटाबेस से संपर्क कर लाभार्थी के पहचान की संतुष्टि कर सकते हैं।

3. किसी भी व्यक्ति के नाम, उम्र एवं पता संबंधी जानकारी कोई भी प्राधिकार प्राप्त कर सकते हैं किंतु किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, वर्ग, जनजाति एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का संकलन नहीं किया जा सकता है। प्राधिकार से यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त की गई जानकारी सुरक्षित रहे एवं नष्ट नहीं हो साथ ही उसकी गोपनीयता भी बनी रहे।

4. **बिना पहचान दस्तावेज लाभार्थी का समावेश**– गरीब और हाशिए पर के लोगों जिन्हें कोई पहचान दस्तावेज नहीं है वैसे लोगों को सरकारी सहायता देने में समस्या होती है वैसे लोगों के लिए इंट्रोडयूसर प्रणाली की व्यवस्था है जिससे वैसे लोगों की पहचान UIDAI द्वारा डाटा सत्यापन के पश्चात किया जाएगा।

5. **इल्क्ट्रॉनिक लाभ हेतु स्थानांतरण**– बैंक खाता नेटवर्क के लिए कम दर पर लाभार्थियों को लाभ देने में यू.आई.डी. सहायक होगा जिससे वर्त्तमान प्रणाली में कमियों को भी दूर किया जा सकता है।

6. **आधार पहचान के अनुसार लाभार्थियों को दी गई सुविधा की संतुष्टि**– UIDAI किसी भी लाभार्थी के पात्रता पर संदेह होने पर आन–लाईन सेवा प्रदान कर लाभार्थी की पहचान एवं पात्रता की संतुष्टि कर सकेगी।

7. **पारदर्शिता के माध्यम से बेहतर सेवा**– उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के माध्यम से लाभार्थियों के पात्रता एवं गुणवत्ता में बेहतर विकास किया जा सकता है।

8. **स्वयं सेवा**– आधार संख्या का उपयोग कर लाभार्थी अपनी पात्रता माँग सेवा के बारे में अद्यतन जानकारी साथ ही अपने शिकायतों का निष्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल फोन पर स्वयं सेवा की जानकारी दो कारकों की संतुष्टि (निबंधित मोबाइल संख्या की जानकारी एवं लाभार्थी का आधार संख्या की जानकारी) के पश्चात ही दी जा सकेगी। मोबाइल बैकिंग एवं भुगतान के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदित मानकों के आधार पर ये मानक अनुपालित किये जाएंगे।

9. **आधार–आधारित** application – आधार को वैसे किसी भी सिस्टम में उपयोग किया जा सकता है जिसमें निवासियों को सेवा/सुविधा प्रदान करने से पूर्व उनकी पहचान स्थापित करने की हो।

च. *e*-शक्ति एवं आधार संख्या के लिए निबंधन प्रक्रिया

मनोनित निबंधकों के द्वारा सीधे अथवा enrolment agency के माध्यम से इच्छुक निवासियों का डाटा तथा बॉयोमेट्रिक सूचना एकत्रित की जायेगी। पूरी प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु परिभाषिक मार्गदर्शिका, मानक एवं तकनीकी प्रणाली का प्रयोग कर ही नामांकन प्रक्रिया की जाएगी।

छ. संग्रहित सूचना

नामांकन प्रक्रिया में यू.आई.डी. निवासी का निम्न आंकड़ा संकलित किया जाएगाः

निवासियों का

1. नाम
2. पता

3. लिंग एवं

4. आयु

इसे संक्षिप्त रूप से KYR (Know Your Resident/या अपने निवास को जाने) कहा जाता है। सरकार की विभिन्न विभागों के आवश्यकताओं के अनुसार निवासीयों की अन्य जानकारियाँ भी ली जा रही है, इन सूचनाओं को KYR+ के नाम से जाना जा रहा है। निवासी के बॉयोमेट्रिक आंकड़ों के रुप में निवासी के फोटो, 10 ऊँगलियों के निशान और दोनों आँखों की पुतली के स्कैन होंगी।

ज. आंकड़ा संग्रह

आँकड़ों को संकलित करने के लिए निम्न प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा।

1. KYR & KYR+ आंकड़ों को प्राप्त करना

2. KYR & KYR+ आंकड़ों का आरंभिक संग्रहण विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। यदि रजिस्ट्रार के पास पहले से उपलब्ध आंकड़े का प्रयोग किया जा रहा है तो ऑपरेटर पहले से उपलब्ध आकड़े की जाँच कर उसे पुरा करेंगे या सुधार करेंगे। जहाँ आकड़े पहले से उपलब्ध नहीं है वहाँ निवासी KYR & KYR+ जानकारी प्राप्त करेंगे।

3. तय मानक के अनुसार निवासी के पता और परिचय को प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने की दो विधियाँ हैं।

4. दस्तावेज आधारित प्रमाणिकरण– जहाँ पहचान/पता साक्ष्य का दस्तावेज को रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि के द्वारा संविक्षा एवं हस्ताक्षर किया जाता है।

5. पहचानकर्त्ता आधारित प्रमाणिकरण – जहाँ रजिस्ट्रार के द्वारा अधिकृत पहचानकर्त्ता के द्वारा निवासी का पहचान और पता को प्रमाणित किया जाएगा।

   क. ऑपरेटर के द्वारा निवासी से पूछा जाएगा कि क्या वे अपने बैंक

खाते को यू.आई.डी. के साथ जोड़कर या यू.आई.डी. के आधार पर अपना नया बैंक खाता खोलकर Financial Inclusion योजना में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए जानकारी को अद्यतन करेंगे।

ख. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए माता–पिता में से किसी एक या अभिभावक का नाम एवं उनका यू.आई.डी. नामांकन संख्या को दर्ज किया जाएगा।

6. Biometric डाटा का संग्रहण – KYR & KYR+ आंकडा संग्रहण के उपरांत ऑपरेटर Biometric डाटा का संग्रहण करेंगे। Biometric डाटा का संग्रहण के लिए यांत्रिकी की तस्वीर नीचे दी गई है।

क. चेहरे का तस्वीर, Iris (आँख की पुतली) का स्कैन और ऊँगलियों के निशान को कैद किया जाएगा।

ख. अपवाद बस यदि कोई है (ऊँगली न होना / आँख न होना इत्यादि) तो नामांकन प्रक्रिया मैनुअल में दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार नामांकन किया जाएगा।

झ. निवासी को प्राप्ति रसीद

1. KYR & KYR+ और बायोमैट्रिक आंकड़ों की शुद्धता निश्चित करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आकड़ों को निवासी को दिखाया जाता है। इस संबंध में आकड़े की प्रिंट लेकर सहमति पत्र छापें एवं इस पत्र पर निवासी का हस्ताक्षर लिया जायेगा। इस हस्ताक्षरित प्रति का स्कैन कर इसका सॉफ्ट कॉपी रख ली जाएगी। एवं इस प्रति को निवासी

को प्राप्ति रसीद के रुप में दे दी जाएगी।

ट. नामांकन किए गए डाटा में द्वितीयक (Duplicate) रिकार्ड न होना सुनिश्चित करना (De-duplication) एवं आधार पहचान संख्या बनाना

1. नामांकन केंद्र में कम्प्यूटरकृत नामांकन डाटा को UIDAI के केंद्रित डाटाबेस (Central ID Repository - CIDR) में भेजना है।
2. CIDR को डाटा उपलब्ध होने के उपरांत आवश्यक गुणवत्ता जाँच किया जाता है और डाटा De-duplication के लिए तैयार हो जाता है।
3. CIDR De-duplication सॉफ्टवेयर डाटाबेस में उपलब्ध सारे पुराने डाटा के साथ CIDR में प्राप्त नए डाटा को आपस में मिलाया जाता है। इसके लिए बायोमेट्रिक डाटा यथा चेहरे का तस्वीर, Iris (आँख की पुतली) का स्कैन और ऊँगलियों के निशान का प्रयोग किया जाता है। इससे किसी भी डाटा का विशिष्टता (uniqueness) तय हो जाता है।
4. यदि नए डाटा का कोई मिलान डाटाबेस से नहीं मिलता है तो पहचान या आधार संख्या जारी करते हुए एक पत्र निवासी के नाम से जारी किया जाता है। यदि द्वितीयक (Duplicate) रिकार्ड प्राप्त मिलता है तो rejection पत्र जारी किया जाता है और निवासी को सूचना दी जाती है कि उनका द्वितीयक रिकार्ड डाटाबेस में पहले से है। डाटा में यदि त्रुटी रिपोर्ट होती है तो निवासी को फिर से नामांकन कराने के लिए सूचना भेजा जाता है।

ठ. निवासी को आधार नम्बर का संप्रेशन

निवासी को आधार नम्बर का संप्रेशन एक पत्र के माध्यम से आधार संख्या की सूचना दी जाएगी।

विधि निम्न है:

1. आधार संख्या के सफल निर्गत करने की सूचना निवासी को रजिस्ट्रार के द्वारा तय समय सीमा में दिया जाएगा।
2. भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रत्येक निवासी को एक पत्र के द्वारा सभी सफल नामांकन को संचारित किया जाएगा।
3. नामांकन प्रक्रिया की अस्वीकृति को भी अस्वीकृत पत्र के द्वारा संचारित किया जाएगा।
4. अवितरित पत्र UIDAI को लौट जाएगा। निवासी सम्पर्क केन्द्र में अपने पत्र को आगे की तिथि में उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
5. रजिस्ट्रार (पंजीयन अधिकारी) के द्वारा निवासी को नामांकित की गई सफल आधार संख्या को संयुक्त रूप से सहमतिनुमा समय के अन्दर उपलब्ध साधन द्वारा सूचित किया जा सकता है।

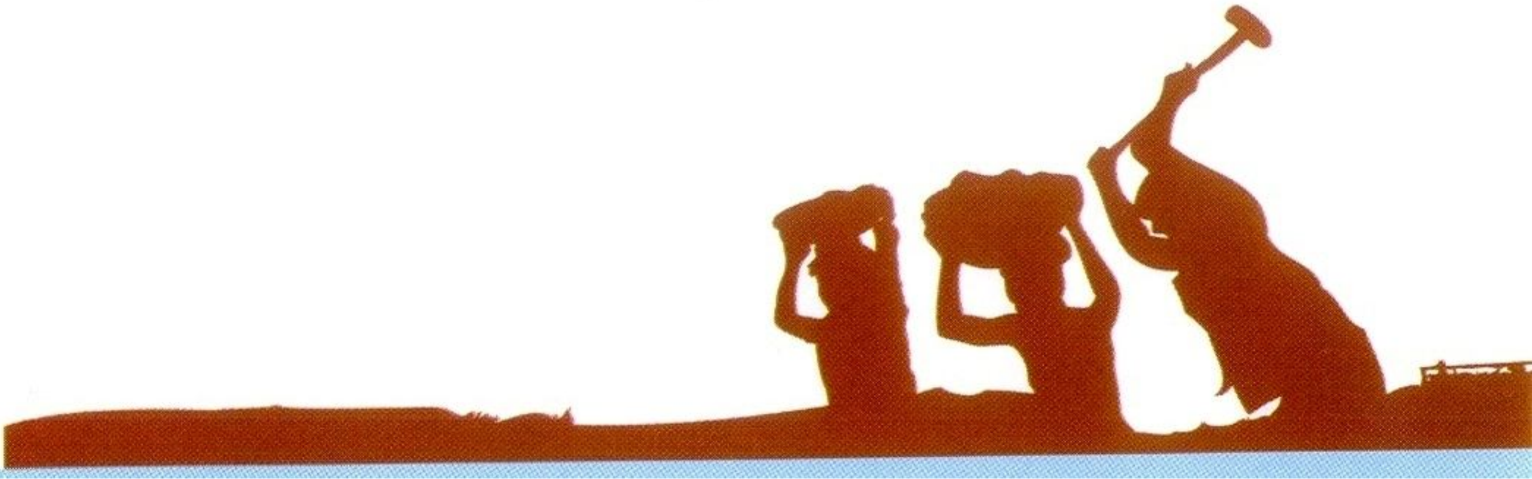

पूछताछ एवं शिकायत संचालन

पूछताछ एवं शिकायत संचालन से संबंधित प्रबंधन के लिए ***e***-शक्ति एवं UIDAI एक सम्पर्क केंद्र की स्थापना की है जो कि संबंध एकल संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करेगी।

संचार के लिए माध्यम

आवाज : टौल फ्री 1800 345 22 44

8बजे सुबह से 8बजे शाम तक सोमवार से शनिवार तक (रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।)

पत्रः पी.ओ. बॉक्स 1947, बंगलुरु 560001

ई मेलः help@uidai.gov.in

कोई भी निवासी जो नामांकन को इच्छुक हैं उन्हें छपा हुआ एक स्वीकृति प्राप्ति रसीद एक सन्दर्भ संख्या के साथ दी जाती है। इस संदर्भ संख्या का प्रयोग करते हुए निवासी अपने नामांकन से संबंधित कोई भी पूछताछ किसी भी सम्पर्क केन्द्र में किसी भी संचार माध्यम से किया जा सकता है।